न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2019-00323RAAJodhpur2019-131RTA223 Moomal Vs Ramee etc

मूमल पुत्री भागचन्द जाति विश्नोई, निवासी ग्राम मोटाई, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. रामी पुत्री बरसिंगाराम
2. बरसिंगाराम पुत्र भागचन्द(**नाम डिलीट**)
3. बाबुडी पुत्री बरसिंगाराम पत्नी रूपाराम
4. रूकमणी पुत्री बरसिगाराम पत्नी श्रवणकुमार

   जातियान विश्नोई, निवासीगण ग्राम मोटाई, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
5. मीरा पुत्री भागचन्द फौत के कायम मुकाम
   - 5.1. बाबूराम पुत्र मीरा
   - 5.2. सुखराम पुत्र मीरा
   - 5.3. रूगाराम पुत्र मीरा पिसरान धन्नाराम जातियान विश्नोई, निवासीगण ग्राम रडकापुरा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 अक्टूबर 2019 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 204/2018 रामी बनाम बरसिंगाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1

नि र्ण य

दिनांक : 11 मार्च 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 204/2018 अनवान रामी बनाम बरसिंगाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 अक्टूबर 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 19 अक्टूबर 2019 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम मोटाई के खसरा नं0 22 रकबा 230 बीघा 14 बिस्वा, खसरा न० 129 रकबा 270 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं0 330 रकबा 217 बीघा 04 बिस्वा कुल रकबा 718 बीघा 07 बिस्वा वर्तमान राजस्व ग्राम हरिपुरा व जम्भेश्वरनगर के संबंध में धारा 88, 89 188 एवं 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2019 को वाद जरिये राजीनामा स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में एक वाद अपीलार्थी तथा उसकी बहिन मीरा द्वारा पेश किया गया था तथा एक अन्य वाद उसी भूमि बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा पेश किया गया था। दोनों ही वादो में समान इश्यू नहीं था कि मूल खातेदार बलू जो लाओलाद फौत हुआ था, उसका हिस्सा किस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विभक्त होना था। इन दोनो वादो को कंसोलीडेट करने हेतु प्रार्थना पत्र भी विचाराधीन है। विचारण न्यायालय द्वारा एक वाद के विचाराधीन रहते दूसरे वाद में राजीनामें को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिकी पारित करने में कानूनी भूल की है। तथाकथित राजीनामे में सभी पक्षकार शामिल ही नहीं थे। उक्त राजीनामा में न तो अपीलार्थी जो प्रतिवादी संख्या पांच हाजिर थी तथ न ही प्रतिवादी मीरा के कायम मुकाम उपस्थित थे, बिना सभी पक्षकारों की सहमति से राजीनामा तस्दीक नहीं कियां जा सकता था तथा न ही मूल दावे का निर्णय किया जा सकता था। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक तथा अन्य प्रतिवादी से मिली भगत करते हुए बरसिंगाराम तथा उसकी पुत्रीयों ने अपीलार्थी के हिस्से को भी सम्मिलित करते हुए निर्णय करवा लिया तथा खुद को खातेदार काश्तकार घोषित करवा लिया। वादग्रस्त आराजी में अपीलार्थी तथा उसकी बहिन मीरा के कायम मुकाम का भी हिस्सा निहित है। अपीलाधीन डिक्री व निर्णय मृत व्यक्ति मीरा के विरुद्ध पारित किये गये है जो इसी बिनाय पर निरस्त करने काबिल है । उपर्युक्त वाद में मीरा का देहान्त हो चुका था। इस हेतु दिनांक 11.10.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी पी सी पेश किया गया था तथा पत्रावली उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थना पत्र के बहस हेतु दिनांक 14.10.2019 को रखी गई। दिनांक 14.10.2019 को उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया तथा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या एक के वाद को स्वीकार कर डिक्री कर दिया जो कानूनन नहीं किया जा सकता था । तथाकथित राजीनामा दिनांक 11.10.2019 को पेश किया गया था, जिसे दिनांक 14.10.2019 को स्वीकार कर वादी के वाद को डिक्री कर दिया, जबकि कानूनन राजीनामा उसी दिन निर्णित होना चाहिये था। विवादग्रस्त भूमि में मूल खातेदार बलूराम लाओलाद फौत हो गये थे तथा उनके जीवनकाल में बेचान के उपरान्त उनके 1/2 हिस्से में द्वितीय श्रेणी की वारिस होने से अपीलार्थी तथा उसकी बहिन मीरा का भी बरसिंगाराम के बराबर कानूनन हिस्सा निहित है, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा बलूराम के हिस्से को बरसिंगाराम तथा उसकी पुत्रीयों में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये बांट दिया, जबकि उसी न्यायालय में अपीलार्थी का घोषणा का वाद अंतिम स्टेज में विचाराधीन है तथा जिस वाद में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया, उस वाद में भी अपीलार्थी बतौर प्रतिवादी पक्षकार होते हुए भी राजीनामा में शामिल नहीं होते हुए भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिया जो बहाल रखने काबिल नहीं है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलार्थीनी की पुश्तैनी भूमि नही हैं। वादीनी/रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपने पिता की भूमि में अपने हिस्से की घोषणा बाबत वाद प्रस्तुत किया जो विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान् की ओर से प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद को डिक्री किया जाकर जरिये राजीनामा स्वीकार किया गया हैं। कानूनन राजीनामा के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। अतः अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा दिनांक 11. 10.2019 के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादीनी रामी एवं प्रतिवादी संख्या एक बरसींगाराम, प्रतिवादी संख्या दो बाबुड़ी एवं प्रतिवादी संख्या तीन रूखमणी ने उपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

होकर संयुक्त हस्ताक्षरित राजीनामा प्रस्तुत कर माफिक राजीनामा वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 129 रकबा 170 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 331/2 रकबा 97.04 बीघा में प्रत्येक पक्षकार के 1/4–1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये राजीनामा स्वीकार किया जाकर माफिक अनुतोष वाद डिक्री किया जाना पाया जाता है।

अपीलार्थीनी का कथन है कि वह स्व. भागचंद की पुत्री है तथा प्रतिवादी बरसिंगा की सगी बहन है। अपीलार्थीनी के चाचा बलू लाऔलाद फौत होने से वह स्व. बलू की द्वितीय श्रेणी वारिस होने से स्व. बलू के नाम दर्ज आराजी में प्रतिवादी संख्या एक एवं चार के साथ बराबर हिस्से की हकदार है। अपीलार्थीनी के उक्त उज्र के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय में वाद की कार्यवाही के दौरान अपीलार्थीनी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई थी, जिसे अपीलार्थीनी द्वारा निरस्त नहीं करवाया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा वाद में उपस्थित पक्षकारान् की ओर से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है।

जहां तक अपीलार्थीनी स्व. बलू की द्वितीय श्रेणी वारिसान् होने तथा वादग्रस्त आराजी में अपीलार्थीनी के पुश्तैनी हिस्से की घोषणा का प्रश्न है, इस बिंदु का निस्तारण अपीलार्थीनी की ओर से विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद में जरिये साक्ष्य सिद्ध होना है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा से पारित निर्णय एवं डिक्री मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 204/2018 अनवान रामी बनाम बरसिंगाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 अक्टूबर 2019 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2019-00323RAAJodhpur2019-131RTA223 Moomal Vs Ramee etc

अपीलाण्ट		**रेस्पोडेण्ट**
मूमल पुत्री भागचन्द जाति विश्नोई, निवासी ग्राम मोटाई, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।	ब ना म	1. रामी पुत्री बरसिंगाराम 2. बरसिंगाराम पुत्र भागचन्द**(नाम डिलीट)** 3. बाबुडी पुत्री बरसिंगाराम पत्नी रूपाराम 4. रूकमणी पुत्री बरसिगाराम पत्नी श्रवणकुमार जातियान विश्नोई, निवासीगण ग्राम मोटाई, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर। 5. मीरा पुत्री भागचन्द फौत के कायम मुकाम 5.1. बाबूराम पुत्र मीरा 5.2. सुखराम पुत्र मीरा 5.3. रूगाराम पुत्र मीरा पिसरान धन्नाराम जातियान विश्नोई, निवासीगण ग्राम रडकापुरा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 अक्टूबर 2019 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 204/2018 रामी बनाम बरसिंगाराम इत्यादि

यह अपील बतारीख 11 मार्च 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री लाधूराम पूनिया अधिवक्ता रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 204/2018 अनवान रामी बनाम बरसिंगाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 अक्टूबर 2019 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्व तफसील जेल तादादी मुवलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

वसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 11 मार्च 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फ़ीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर